सरकारी कर्मियों की शिकायतें अधिकतम 60 दिनों में दूर होंगी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार ने अब अपने कर्मियों की शिकायतों के निवारण के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। उनकी शिकायतों का निपटारा अधिकतम 60 दिनों में होगा। इसको लेकर एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 'बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली' के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया।

इससे लगभग साढ़े सात लाख कार्यरत व रिटायर कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसके तहत सभी कार्यरत और रिटायर कर्मियों को उनकी नियुक्ति से रिटायरमेंट और उनके सेवांत लाभ से जुड़ी शिकायतों का निवारण होगा। सीएम ने साथ ही सेवा 'समाधान' वेब पोर्टल को लांच किया और एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बेहतर प्रणाली है। इससे नियमित सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा। सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवांत लाभ से जुड़ीं शिकायतों का भी समाधान हो सकेगा और उन परेशानी खत्म होगी। मुख्यमंत्री के सम बिहार प्रशासनिक सुधार मि सोसायटी की अपर मिशन निदेश प्रतिमा एस वर्मा ने इस नियमावली संबंध में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।

नई व्यवस्था

- सीएम नीतीश कुमार ने नियमाव के क्रियान्वयन का किया शुभार
- करीब साढ़े सात लाख कार्यरत रिटायर कर्मियों को मिलेगा ला

सड़कें मेंटेन करें पेज